निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1939 (श0)
(सं0 पटना 1099) पटना, मंगलवार, 28 नवम्बर 2017

खान एवं भुतत्व विभाग

अधिसूचना
27 नवम्बर 2017

सं० 2/एम0एम0(बा0) 03/2009–7267/एम0—बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के तहत् राज्य सरकार प्रत्येक बालूघाटों एवं पत्थर के बंदोबस्त भूखण्ड़ों के प्रेषण स्थल (Pit Head) पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्णय को अधिसूचित करती है।

2. संबंधित जिलों में समाहर्त्ता/खनन पदाधिकारी चेक पोस्ट की स्थापना करेगें एवं पर्याप्त मात्रा में आरक्षी/सुरक्षा कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेगें ताकि खनिजों का परिवहन उपरोक्त वर्णित नियम के प्रावधानों के तहत् किया जा सके।

3. बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के नियम 4 के तहत् समाहर्त्ता/खनन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि खनिजों के परिवहन करने वाले वाहन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–S.O.-141(E), दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट XII की मार्गदर्शिका के अनुरूप होगें।

4. उपरोक्त भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में खनिज लदे किसी भी वाहन को प्रेषण स्थल पर स्थापित चेक पोस्ट से निकासी की अनुमति नही दी जायेगी।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1099-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in